

13/10/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के
अधिवक्ता उप०। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं
द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण
की मूल पत्रावली दिनांक 12/10/2021 की
आरोपियों अनुसार नि प्रत्येक की विद्वान्
कारे हुए अधीनस्थ न्यायालय को —

प्रेषित कर ही गई है। जिससे इस
अपील को आगे चलाने का कोई
अवसर नहीं है। उभय पक्ष न्यायालय
द्वारा के आदेश दिनांक 12.10.2021 की
पालना में अपील न्यायालय में
पाराजोही कर रहे हैं। जतः 23/11
का निर्णय कराके। उभय पक्षों के
अधिवक्ताओं द्वारा अर्थात् करण
गण तदर्थों का मत दिया, अर्थात्
दिनांक 12/10/2021 का अर्थात् उक्त दिनांक
जिससे स्पष्ट है, कि न्यायालय द्वारा
द्वारा दिनांक 12/10/2021 को 23/11
का निर्णय कर अपील न्यायालय
की बल पत्रावली भी उक्त अपील
न्यायालय को अर्थात् दी जा चुकी
है। अतः अपील अर्थात् पक्षों
द्वारा से आगे चलाया जाय अर्थात्
नहीं हो कर अपील रद्दगीर दी
जाती है। पत्रावली के तहत उक्त
दस्तावेज नम्बर से इस धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली